आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: nsscceraj@gmail.com Ph.: 8209357575

क्रमांकः एफ.8(22)बजट / एनएसएस / आकाशि / 2022 / 70-72 दिनांकः 27 अप्रेल, 2023

प्राचार्य,
समस्त राजकीय / निजी महाविद्यालय,
(एन.एस.एस. से सम्बन्धित)
राजस्थान।

विषय :– राष्ट्रीय सेवा योजना अनुदान नई प्रणाली से जारी करने हेतु नवीन बैंक खाता खोले जाने बाबत।

सन्दर्भ :–विभाग के पत्र कमांक एफ.8(22)बजट / एनएसएस / आकाशि / 2022 / 965–67 दिनांकः 16 जनवरी, 2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र एवं संलग्नकों का अवलोकन फरमावें। सत्र 2022–23 से राष्ट्रीय सेवा योजना अनुदान नई प्रणाली से जारी करने का निर्णय लेते हुए आपको "Zero Balance Subsidiary Account" (Current Account) नवीन खाता खोले जाने हेतु निर्देशित करने के उपरान्त भी प्रायः देखा गया है कि कुछ संस्था ने खाता खुलवा लिया परन्तु विभाग को सूचित नहीं किया, कुछ ने मैपिंग नहीं करवाया, कुछ ने विभाग में खाते का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, जिसके अभाव में आपकी संस्था को अनुदान जारी नहीं हो सका।

अतः सन्दर्भित पत्र एवं संलग्नक की छाया प्रति संलग्न प्रेषित कर आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि **दिनांक 15 मई, 2023** तक आवश्यक कार्यवाही कर समन्वयक, युवा कौशल एवं विकास प्रकोष्ठ, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान को सूचित करें। निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में विभाग द्वारा आपको अगले सत्र का अनुदान जारी किया जाना सम्भव नहीं होगा। जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि –

1. वेब साईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को अपलोड हेतु।
2. सम्बन्धित जिला समन्वयक को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन महाविद्यालयों से चाही गई सूचना दिनांक 15 मई, 2023 तक हार्ड प्रति में समन्वयक, युवा कौशल एवं विकास प्रकोष्ठ, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(सुनील शर्मा)
आयुक्त

Signature valid
Digitally signed by Sunil Sharma
Designation : Commissioner
Date: 2023.04.26 17:40:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3720350

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: nsscceraj@gmail.com Ph.: 8209357575

क्रमांकः एफ.8(22)बजट / एनएसएस / आकाशि / 2022 / 965-67 दिनांकः 16 जनवरी, 2023

प्राचार्य,
समस्त राजकीय / निजी महाविद्यालय
(एन.एस.एस. से सम्बन्धित)
राजस्थान।

विषय :– राष्ट्रीय सेवा योजना अनुदान नई प्रणाली से जारी करने हेतु नवीन बैंक खाता खोले जाने बाबत।

सन्दर्भ :– राज्य सम्पर्क अधिकारी, शिक्षा (ग्रुप–4–अ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक : प.3(2)शिक्षा / 4अ / 2016 जयपुर दिनांक 13.01.2023.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के युवा कार्यक्रम विभाग (एन.एस.एस. प्रकोष्ठ) के पत्रांक F.No.K-11032/3/2022-NSS दिनांक 06.10.2022 व ईमेल दिनांक 02.01.2023 एवं वित्त मंत्रालय के पत्रांक F.No.1(18)/PFMS/FCD/2021 दिनांक 09.03.2022 के निर्देशानुसार राष्ट्रीय सेवा योजना अनुदान राशि सत्र 2022–23 से नई प्रणाली द्वारा जारी करने का निर्णय लिया गया है।

नई प्रणाली से अनुदान राशि जारी करने हेतु एन.एस.एस. से सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों का शीघ्र ''भारतीय स्टेट बैंक'' में "Zero Balance Subsidiary Account" (Current Account) खोला जाना है। जिन महाविद्यालयों के पूर्व से भारतीय स्टेट बैंक में खाते खुले हुए हैं उन्हें भी नया "Zero Balance Subsidiary Account" (Current Account) अनिवार्य रूप से खुलवाया जाना है।

अतः सन्दर्भित पत्र एवं संलग्नकों की छाया प्रति संलग्न प्रेषित कर आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र में दिये गये निर्देशानुसार अविलम्ब आपके महाविद्यालय में "Zero Balance Subsidiary Account" (Current Account) खुलवा कर राज्य सम्पर्क अधिकारी, शिक्षा (ग्रुप–4–अ) विभाग, शासन सचिवालय से सम्पर्क करें, ताकि सत्र 2022–23 का अनुदान जारी किया जा सके।

कृपया कार्य को प्राथमिकता देवें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुनील शर्मा)
आयुक्त

प्रतिलिपि –

1. राज्य सम्पर्क अधिकारी, शिक्षा (ग्रुप–4–अ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक : प.3(2)शिक्षा / 4अ / 2016 जयपुर दिनांक 13.01.2023 के क्रम में सूचनार्थ।
2. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड हेतु।
3. आहरण वितरण अधिकारी आयुक्तालय

(डॉ. सुरेन्द्र सिंह)
समन्वयक,
युवा कौशल एवं विकास प्रकोष्ठ

(34)

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4 अ) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांकः प. 3(2)/शिक्षा/4अ/2016 जयपुर दिनांकः 13.01.2023

श्रीमान आयुक्त महोदय,
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा,
राजस्थान जयपुरं।

विषयः– राष्ट्रीय सेवा योजना अनुदान नई प्रणाली से जारी करने हेतु नवीन बैंक खाता खोले जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, के युवा कार्यक्रम विभाग (एन.एस.एस प्रकोष्ठ) के पंत्राक F.No. K-11032/3/2022-NSS दिनांक 06.10.2022 व ईमेल दिनांक 02.01.2023 एवं वित्त मंत्रालय के पंत्राक F.No. 1(18)/PFMS/FCD/2021 दिनांक 09.03.2022 के निर्देशानुसार राष्ट्रीय सेवा योजना अनुदान राशि सत्र 2022–23 से नई प्रणाली द्वारा जारी करने का निर्णय लिया गया है।

नई प्रणाली से अनुदान राशि जारी करने हेतु एन.एस.एस. से सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों का शीघ्र "भारतीय स्टेट बैंक" में "Zero Balance Subsidiary Account"(Current Account) खोला जाना है। जिन महाविद्यालयों के पूर्व से भारतीय स्टेट बैंक में खाते खुले हुये है उन्हे भी नया **"Zero Balance Subsidiary Account (Current Account) "** अनिवार्य रूप से खुलवाया जाना है। अतः पत्र के साथ सलंग्न प्रपत्र–अ एवं उसमें उल्लिखित दस्तावेजों के साथ नजदीकी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में सम्पर्क करें। उक्त नवीन बैंक खाता खोलने हेतु भारतीय स्टेट बैंक मुख्यालय द्वारा सभी शाखाओं को निर्देशित किया जा चुका है जिससे महाविद्यालय के प्रतिनिधि को सम्बन्धित बैंक शाखा में Zero Balance Subsidiary Account (Current Account) खुलवाने हेतु किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नही करना पड़ेगा। तत्पश्चात् सम्बन्धित सभी महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के पीएफएमएस पर पूर्व खाते की एडमिन आईडी को ओपन कर संलग्न पीपीटी अनुसार नवीन बैंक खाता संख्या को PFMS पोर्टल पर जोड़ना(Add/Map) होगा। बैंक खाता जुड़ (Add) जाने पर ऑनलाइन उक्त खाता संख्या को राज्य सम्पर्क अधिकारी कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा Approve कर दिया जायेगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय के बैंक खाते में इस विभाग द्वारा अनुदान जारी करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

Zero Balance Subsidiary Account (Current Account) खोले जाने के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

सभी महाविद्यालयों को यह भी निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि पूर्व में जारी राष्ट्रीय सेवा योजना का अनुदान अगर किसी भी महाविद्यालय के पास अवशेष है तो शीघ्र **"राजस्थान स्टेट एन.एस.एस.सैल"** के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट बना कर राज्य सम्पर्क अधिकारी कार्यालय को दिनांक 31.01.2023 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करें।

अतः श्रीमान एन.एस.एस से सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों एवं समन्वयक (एन.एस.एस.), कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय राजस्थान, जयपुर को स्वयं का खाता भी खोलने हेतु निर्देशित करने का श्रम करें। जिससे सत्र 2022–23 की अनुदान राशि जारी करने की अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

13.01.2023

(डॉ0 धर्मेन्द्र सिंह)
राज्य सम्पर्क अधिकारी

राज्य सम्पर्क अधिकारी,
शिक्षा (ग्रुप-4-अ) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

प्रतिलिपिः समन्वयक, रा.से.यो एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Sd.
राज्य सम्पर्क अधिकारी